न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 290/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/292**
दायर दिनांक :– 06.10.2022 **निर्णय दिनांक :– 28.01.2025**

1. मगीकंवर पत्नी माधोसिंह जाति राजपूत निवासी हरिसिंहनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. नारायणसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी हरिसिंहनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी हरिसिंहनगर तहसील बाप जिला फलोदी
   प्रार्थी संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती माता मगीकंवर पत्नी माधोसिंह

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. कंवराजसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी हरिसिंहनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. हिम्मतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी हरिसिंहनगर तहसील बाप जिला फलोदी
   अप्रार्थी संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती बरजूकंवर पत्नी अमरसिंह
4. गुमानसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी हरिसिंहनगर तहसील बाप जिला फलोदी
5. जेतसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी हरिसिंहनगर तहसील बाप जिला फलोदी
   अप्रार्थी संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये कुदरती माता स्वरूपकंवर पत्नी गणपतसिंह

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 व 5
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी अधिकारो की भूमि खसरा नम्बर 129/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 129 रकबा 18.3727 हैक्टेयर सरहद मौजा हरिसिंहनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 का का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहे है लेकिन वर्तमान में सेग्रीगेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त के विपरित तरमीम कर दी जो सरासर गलत एंव विधि विरूद्व है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की तरमीम करवाने हेतु कभी भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र सहमति नहीं दी है। इसिलये ग्राम हरिसिंहनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 129/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 129 रकबा 18.3727 हैक्टेयर भूमि के

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की और से अधिवक्ता मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम हरिसिंहनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 129/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 129 रकबा 18.3727 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम हरिसिंहनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 129/1 रकबा 1. 2950 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 129 रकबा 18.3727 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का शेखासर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हरिसिंहनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 129/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 129 रकबा 18.3727 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का शेखासर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/01/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)